केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 28.01.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/23
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00017

अपीलकर्ता : श्री विनोद प्रताप सिंह,
ग्राम – बेलबनवां, पो0 – मेंहदावल,
जनपद – संत कबीर नगर,
उत्तर प्रदेश – 272271.

निर्णय की तारीख : 28.01.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.11.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.12.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	06/04.01.2019 (7005/02.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 12.03.2018 के द्वितीय अपील पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 12.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन को सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा भूलवश द्वितीय अपील के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है, जबकि इसे आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना चाहिए था । अतः इस आदेश के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन को यथाशीघ्र पंजीकृत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ।

3. ऐसे मामले अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में पहले भी आ चुके हैं जब आर.टी.आई. आवेदन आर.टी.आई. अनुभाग को अग्रसारित करने के बजाय किसी अन्य अनुभाग/रजिस्ट्री का अग्रसारित कर दिया गया है । तद्नुसार श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सी.आर.-1 को निर्देश दिया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि डाक अनुभाग में प्राप्त पत्रों की छंटाई ठीक से हो तथा डाक जिस विषय से संबंधित हो उसी अनुसार संबंधित अनुभाग/रजिस्ट्री को अग्रसारित किया जाए तथा इसके लिए सभी संबंधित कार्मिकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किया जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री टी.बी.जे.एस.राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सी.आर.-1, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 JAN 2019
D. No.........
Initials.........

28/1/19

सेवामें,
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय सूचना आयोग
नई दिल्ली।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्ति हेतु।

मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 20F 335488 रू0 10.00 का आवेदन पत्र शुल्क के रूप मे संलग्नकर प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को पंजीकृत डाक द्वारा मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को विनोद प्रताप सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर (उ0प्र0) नामक 01 से 06 बिन्दु से सम्बन्धित आवेदन पत्र के क्रम मे मा0 आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्राप्त करना चाहता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रार्थी
विनोद प्रताप सिंह
विनोद प्रताप सिंह
ग्राम–बेलबनवां, पोस्ट–मेंहदावल
जनपद–संत कबीर नगर (उ0प्र0)
दिनांक 12.11.2018

भारतीय डाक
India Post

CIC/RBIND/A/2018/167986
CIC/RBIND/A/2018/117772

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक निदेशालय DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग - नई दिल्ली

इस प्रपत्र की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रु. 10.00 RS

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

विनोद प्रताप सिंह
ग्राम - बेलबनवा
पो० - मेंहदावल
जनपद - संत कबीरनगर (उ.प्र.)

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

पे हाथपर में अदा करें।

8-3-2014
पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस रेखा के नीचे न लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

20F 335488